"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 494] नवा रायपुर, गुरूवार, दिनांक 3 सितम्बर 2026 — भाद्र 12, शक 1948

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 3 सितम्बर 2026

अधिसूचना

क्र. RULE/807/2026-HOUSING (1).— जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के परामर्श के पश्चात्, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) छत्तीसगढ़ नियम, 1975 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 35 का लोप किया जाये।

2. नियम 36 का लोप किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 3 सितम्बर 2026

क्रमांक RULE/807/2026-HOUSING (1).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03-09-2026 का अंग्रेजी अनुवाद छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 3rd September 2026

NOTIFICATION

No. RULE/807/2026-HOUSING (1).— In exercise of powers conferred by Section 64 of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (No. 6 of 1974) and after consultation with the Chhattisgarh Environment Conservation Board, the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Water (Prevention and Control of Pollution) Chhattisgarh Rules, 1975, namely : -

AMENDMENTS

In the said rules,-

1. Rule 35 shall be omitted

2. Rule 36 shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
DEVENDRA SINGH BHARDWAJ, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2026.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 495] नवा रायपुर, गुरूवार, दिनांक 3 सितम्बर 2026 — भाद्र 12, शक 1948

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 3 सितम्बर 2026

अधिसूचना

क्र. RULE/807/2026-HOUSING (2) .— जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के परामर्श के पश्चात्, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) (सम्मति) छत्तीसगढ़ नियम, 1975, को निरसित करती है। इस नियम का निरसन, निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगा :-

(क) किसी ऐसी बात की वैधता, अवैधता, प्रभाव या परिणाम को, जो पहले ही किये जा चुके हों या की जा चुकी कार्रवाई के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुए हों या किसी अधिकार, हक, दायित्व या देयता को, जो पहले ही अर्जित, उपार्जित या उपगत हो चुकी हो या उससे संबंधित किसी उपचार या कार्रवाई को या ऋण, दंड, दायित्व, देयता, दावे या मांग से मुक्ति या उन्मोचन को या पूर्व में किये गये किसी कार्य या की गई किसी बात के प्रमाण को,

(ख) विधि के किसी सिद्धांत या नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन का प्ररूप या क्रम, अभ्यास या प्रक्रिया या मौजूदा उपयोग, प्रथा, विशेषाधिकार, प्रतिबंध, छूट, पद या नियुक्ति को, इस बात के होते हुए भी कि उन्हें किसी भी प्रकार एतद्वारा निरसित नियम या रीति से मान्यता दी गई हो या पुष्टि की गई हो अथवा वे उससे व्युत्पन्न हुए हों,

(ग) किसी अधिकारिता, पद, प्रथा, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, प्रतिबंध, छूट, उपयोग, व्यवहार, प्रक्रिया या अन्य विषय या वस्तु को पुनर्जीवित या बहाल नहीं करेगा, जो अस्तित्व में नहीं है या लागू नहीं है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 3 सितम्बर 2026

क्रमांक RULE/807/2026-HOUSING (2).– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03-09-2026 का अंग्रेजी अनुवाद छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 3rd September 2026

NOTIFICATION

No. RULE/807/2026-HOUSING(2).— In exercise of the powers conferred by Section 64 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (No. 6 of 1974) and after consultation with the Chhattisgarh Environment Conservation Board, the State Government, hereby, repeals the Water (Prevention and Control of Pollution) (Consent) Chhattisgarh Rules, 1975

The repeal of these rules shall not -

(a) affect the validity, invalidity, effect or consequences of anything already done or suffered, or any right, title, obligation or liability already acquired, accrued or incurred, or any remedy or proceeding in respect thereof, or any release or discharge of or from any debt, penalty, obligation, liability, claim or demand, or any indemnity already granted, or the proof of any past act or thing,

(b) affect any principle or rule of law, or established jurisdiction, form or course of pleading, practice or procedure, or existing usage, custom, privilege, restriction, exemption, office or appointment, notwithstanding that the same respectively may have been in any manner affirmed or recognized or derived by, in or from the rule hereby repealed,

(c) revive or restore any jurisdiction, office, custom, liability, right, title, privilege, restriction, exemption, usage, practice, procedure or other matter or thing not existing or in force.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
DEVENDRA SINGH BHARDWAJ, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2026.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 496] नवा रायपुर, गुरूवार, दिनांक 3 सितम्बर 2026 — भाद्र 12, शक 1948

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 3 सितम्बर 2026

अधिसूचना

क्र. RULE/807/2026-HOUSING (3).— वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) की धारा 54 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के परामर्श के पश्चात्, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) छत्तीसगढ़ नियम, 1983 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 13 का लोप किया जाये।

2. नियम 14 का लोप किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 3 सितम्बर 2026

क्रमांक RULE/807/2026-HOUSING (3).– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03-09-2026 का अंग्रेजी अनुवाद छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 3rd September 2026

NOTIFICATION

No. RULE/807/2026-HOUSING (3).— In exercise of the powers conferred by Section 54 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (No. 14 of 1981) and after consultation with the Chhattisgarh Environment Conservation Board, the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Air (Prevention and Control of Pollution) Chhattisgarh Rules, 1983, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. Rule 13 shall be omitted.
2. Rule 14 shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
DEVENDRA SINGH BHARDWAJ, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2026.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 497] नवा रायपुर, गुरूवार, दिनांक 3 सितम्बर 2026 — भाद्र 12, शक 1948

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 3 सितम्बर 2026

अधिसूचना

क्र. RULE/807/2026-HOUSING (4).— जल प्रदूषण नियंत्रण (सहमति प्रदान, इंकार या रद्द) दिशा-निर्देश, 2025 के पैरा 5 सहपठित जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1974 (1974 का 6) की धारा 27 क एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण (सहमति प्रदान, इंकार या रद्द) दिशा-निर्देश, 2025 के पैरा 6 सहपठित वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) की धारा 21 अ के उपबंधों के अनुसार राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के परामर्श से एतद्द्वारा, सहमति हेतु निम्नलिखित शुल्क निर्धारित करती है:-

जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत् सहमति के लिए शुल्क

(1) सहमति के लिए शुल्क जल प्रदूषण नियंत्रण (सहमति प्रदान, ईकार या रद्द) दिशा-निर्देश, 2025 (समय-समय पर यथा संशोधित) (इसमें इसके पश्चात् "जल सहमति दिशा-निर्देश" कहा जाएगा) की द्वितीय अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट होगा।

(2) स्थापना के लिए सहमति (CTE) प्राप्त करने का एकमुश्त शुल्क, 'जल सहमति दिशा-निर्देश की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट वार्षिक सहमति शुल्क के बराबर होगा।

(3) संचालन के लिए सहमति (CTO) प्राप्त करने हेतु शुल्क, जल सहमति दिशा-निर्देश की द्वितीय अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट वार्षिक सहमति शुल्क को उन वर्षों की संख्या से गुणा करके निर्धारित किया जाएगा, जिसके लिए शुल्क का भुगतान किया जा रहा है।

(4) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए, सभी पात्र परियोजनाओं/गतिविधियों को देय सहमति शुल्क पर 50% की छूट स्वीकार्य होगी ।

वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत सहमति के लिए शुल्क

(1) सहमति के लिए शुल्क, वायु प्रदूषण (सहमति प्रदान, इंकार या रद्द) दिशा-निर्देश, 2025 (समय-समय पर यथा संशोधित) (इसमें इसके पश्चात् "वायु सहमति दिशा-निर्देश" कहा जाएगा) की द्वितीय अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट होगा।

(2) स्थापना के लिए सहमति (CTE) प्राप्त करने हेतु एकमुश्त शुल्क, वायु सहमति दिशा-निर्देशों की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट वार्षिक सहमति शुल्क के बराबर होगा।

(3) संचालन के लिए सहमति (CTO) प्राप्त करने का शुल्क, वायु सहमति दिशा-निर्देशों की द्वितीय अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट वार्षिक सहमति शुल्क को उन वर्षों की संख्या से गुणा करके निर्धारित किया जाएगा, जिसके लिए शुल्क का भुगतान किया जा रहा है ।

(4) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए, सभी पात्र परियोजनाओं/गतिविधियों को देय सहमति शुल्क पर 50% की छूट स्वीकार्य होगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 3 सितम्बर 2026

क्रमांक RULE/807/2026-HOUSING (4).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03-09-2026 का अंग्रेजी अनुवाद छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 3rd September 2026

NOTIFICATION

No. RULE/807/2026-HOUSING (4).— The State Government, in consultation with the Chhattisgarh Environment Conservation Board, as per the provisions of Para 5 of the Control of Water Pollution (Grand, Refusal or Cancellation of Consent) Guidelines, 2025 read with Section 27A of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (No. 6 of 1974) and Para 5 of the Control of Air Pollution (Grant, Refusal or Cancellation of Consent) Guidelines, 2025 read with Section 21A of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(No. 14 of 1981) hereby, prescribes the following fee for consent -

Fee for consent under Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974

(1) The fee for consent shall be as specified in the Second Schedule of the Water Pollution (Grand, Refusal or Cancellation of Consent) Guidelines, 2025 (as amended from time to time) (hereinafter "Water Consent Guidelines").

(2) The one-time fee for obtaining consent to establish (CTE) shall be equal to the annual fee of consent specified in the Second Schedule of the Water Consent Guidelines.

(3) The fee for obtaining consent to operate (CTO) shall be determined by multiplying annual fee of consent as specified in the Second Schedule of the Water Consent Guidelines and number of years for which fee is being paid.

(4) For a period of five years from the date of publication of this Notification in the Official Gazette, a rebate of 50% shall be admissible on the consent fee payable by all eligible projects/activities.

Fee for consent under Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981

(1) The fee for consent shall be as specified in the Second Schedule of the Air Pollution (Grant, Refusal or Cancellation of Consent) Guidelines, 2025 (as amended from time to time) (hereinafter "Air Concert Guidelines").

(2) The one-time fee for obtaining consent to establish (CTE) shall be equal to the annual fee of consent specified in the Second Schedule of the Air Consent Guidelines.

(3) The fee for obtaining consent to operate (CTO) shall be determined by multiplying annual fee of consent as specified in the Second Schedule of the Air Consent Guidelines and number of years for which fee is being paid.

(4) For period of five years from the date of publication of this Notification in the Official Gazette, a rebate of 50% shall be admissible on the consent fee payable by all eligible projects/activities.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
DEVENDRA SINGH BHARDWAJ, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2026.